भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1321

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

राजस्थान में आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन

1321. **श्री हनुमान बेनीवाल :**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत उन्नयन के लिए चिह्नित की गई आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पोषण ट्रैकर के माध्यम से बच्चों में पोषण की स्थिति, विकास और वृद्धि की डिजिटल निगरानी शुरू कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल डाटा प्रविष्टि करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों की भौतिक अवसंरचना की स्थिति का आकलन करने के लिए कोई अवसंरचना संपरीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्मार्ट सुविधाओं के साथ पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ङ): मिशन पोषण 2.0 के तहत, 15वें वित्त आयोग की अवधि में सरकारी भवनों में स्थित 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से) को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि बेहतर पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान की जा सके। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है, जिसमें एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा सामग्री और बाला पेंटिंग शामिल हैं। 31.01.2026 तक राजस्थान राज्य में 3,514 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित कुल 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को देश भर में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है।

सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण प्रदायगी सहायता प्रणालियों को मजबूत बनाने और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग किया गया है। 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन को मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण के रूप में आरम्भ किया गया।

यह सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों के आधार पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर का उपयोग बच्चों में बौनापन, दुबलापन और अल्प-वजन के प्रचलन की गतिशील पहचान के लिए किया जाता है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्र के खुलने एवं बंद होने, दैनिक उपस्थिति, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा गतिविधियां, पका हुआ गर्म भोजन और टेक होम राशन(टीएचआर-कच्चा राशन नहीं) की प्रदायगी, विकास मापन आदि के लगभग तत्समय(रियल टाइम) में डेटा संग्रह को सुगम बनाया है। यह एप्लिकेशन प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी प्रदान करता है, जो जन्म की तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, स्तनपान और पूरक आहार के बारे में संदेश प्रसारित करने में सहायक होते हैं। पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए नियमित रूप से जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए स्व-अध्ययन वीडियो भी उपलब्ध हैं, जो डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से निरंतर क्षमता निर्माण और कार्यस्थल पर सीखने को सक्षम बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी तक पहुंच के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) विकसित की है ताकि टेक होम राशन प्रदायगी को सुनिश्चित किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लक्षित लाभार्थी को ही मिले।

पोषण ट्रैकर में नामांकित व्यक्ति मॉड्यूल शुरू किया गया है ताकि लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों) को टेक होम राशन (टीएचआर) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो वे अपनी ओर से किसी नामांकित व्यक्ति को टीएचआर प्राप्त करने के लिए नामित कर सकती हैं। नामांकित व्यक्ति को केवल एक बार ई-केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन लाभार्थी की ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए हर बार चेहरे का मिलान किया जाएगा। नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के बाद भी, लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र से टीएचआर प्राप्त कर सकती हैं यदि नामांकित व्यक्ति ने इसे पहले ही प्राप्त नहीं कर लिया है।

इस मिशन के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागत साझाकरण के आधार पर खरीदे गए स्मार्टफोन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को डेटा एंट्री और पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को प्रति वर्ष 2000 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र की दर से इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क प्रदान किया जाता है।

ब्लॉक और जिला समन्वयक पोषण ट्रैकर के प्रभावी उपयोग और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को जमीनी स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके अलावा, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भौतिक रजिस्टरों का उपयोग बंद करने की सलाह दी गई है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत समग्र योजना और नीति निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि इसका दैनिक कार्यान्वयन राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत आता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर राज्यों के साथ बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सहित योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।

****